

145

न्यायालय - बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मध्य प्रदेश, जिला- स्वातंत्र्य मण्डल 08
प्रकरण क्रमांक /2006 निगरानो

R 2400-II/06

रामदयाल पुत्र श्री भईयालाल, आयु 50 साल,
व्यवसाय - काश्तकारी, निवासी-ग्राम ~~मोहरा~~, मोहर
तहसील वीजला सागर तहसील बोना, जिला -
सागर, मण्डल 08 ----- निगरानो कतारि
बनाम
मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदक

श्री ~~अ.क. 21/81~~ निगरानो 27-12-06 को प्रस्तुत।
द्वारा बाबू दि. 27/12/06
अवर सचिव
राजस्व मंडल म. प्र. स्वातंत्र्य

Dr. M
Cambish Nigam
23/12/06

निगरानो अधीन धारा 50 भू राजस्व संहिता क्रि. आदेशा
दिनांक 2-11-06 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर संभाग,
सागर मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 288/बो-121/2003-04
में पारित जो अवर कलेक्टर सागर द्वारा निगरानो प्रकरण क्रमांक
217/बो-121/2002-2003 में पारित आदेशा दिनांक -
23-7-2003 .

माननीय महोदय,

आवेदक को ओरसे निगरानो निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१। यह कि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है -
यह कि, निगरानो कतारि रामदयाल के पिता भईयालाल भूमि सर्वे
नम्बर बंदोक्त 41B हल्का नम्बर 25 तहसील बोना जिला -
सागर को शासकीय भूमि उत्तरा नम्बर 34। पुरान नं. 31/3
के भू भाग 2/42 हेक्टर पर निरन्तर काबिज होकर काश्तकारी
करते रहे और भू राजस्व उल्लेख में भईयालाल का नाम कब्जेदारो
को हैसियत से निरन्तर रहा है और काश्तकारी करते रहे आवेदक
के पिता भईयालाल को मृत्यु के पश्चात् भूमि सर्वे क्रमांक 34।
रकबा 2/42 हेक्टर पर आवेदक का बिज. होकर छेतो करता चला
आ रहा है और आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में कब्जेदारो
को हैसियत से इन्ड्राज हुआ।

Handwritten signature/initials

